



11AA 444272

निवाचनों का संचालन नियम, 1961

प्रकल्प-28

(नियम 4-क देखिए)

१११. इस प्राप्ति के अनुसार निवाचन क्षेत्र से लिंगानसभा (सदन वा नाम) के लिए निवाचन के लिए रिटार्जेंट ऑफिसर के समझ अमर्यादी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला गाफ़यत।

वे भूमीकारी पुत्र/पुत्री/पली छोटी छह मुद्राएँ, आयु ५० वर्ष, जो भूमीकारी प्रकल्प-२८ के अनुसार अप्रूप निवाचन का/की विनेयासी हैं और उपरोक्त निवाचन में अमर्यादी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते/करती हैं/गाफ़यत वा पर निम्नलिखित कथन करता हैं/करती हैं—

१. मैं ऐसे किसी लिखित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारबाह से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें लक्षम अधिकारिता वाले व्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गये हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है, तो उह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

मेरे विरुद्ध माननीय व्यायालय में निम्न वाद लग्बित है— छव्वार्थी

- (i) मामला/प्रथम सुनवाना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ _____
- (ii) पुलिस थाना (थाने) _____ जिला या जिले _____ राज्य _____
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) वा घास (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संकेत प्रिवरण _____ जिसके (जिनके) लिए अमर्यादी आरोपित किया गया है— _____
- (iv) व्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई है _____

१) २)

- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विश्वित किया गया था / किए गए थे—

 (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सज्जम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी
 गई है / हैं—

2 मुझे किसी अपराध (अपराधी) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की द्वारा 8 की उपचारा (1) या लापता (2) में विर्भूत या लपाता (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधी) से जिन के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए काशायास से दबाविल नहीं किया गया है।
 (यदि जामिसाकी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और इंडाइस्ट किया गया है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):—

- (i) मामला / प्रधान सूचन रिपोर्ट संख्या / संक्षेपाएँ—
न्यायालय, जिसने दिलाई किया है—

(ii) पुलिस धाना (थाने) ज़िला (ज़िले) राज्य
सम्बंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों)
का संशिका विवरण जिसको (जिनके) लिए अन्यथी आरोपित किया गया
है—

(iii) तारीख (तारीख) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गये थे—
वया दंडादेश संक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके
गए है—

ग्रन्थालय

卷之三

पार्श्व-१२।०१।०१२

अधिकारी

सत्यापन

सत्यपन
मैं उपर नामिल अभिसाक्षी, यह सत्यपापित करता/करती हूँ वि इस शपथपत्र की अन्तार्वर्तु मेरे सर्वोल्लम ज्ञान और विद्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग छिपा नहीं है और कोई तात्पर्य यात छिपायी नहीं गई है।

हेहराद्य रथाने पर आज तारीख

लो सत्यापित किया।

११७

This affidavit is sworn before me by
Sheriff James E. Johnson, who is identified by the

W.W.20
Smt. SHITALA DATA VENKAT
Advocate & NOTARY, Bangalore